



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.04.2024

थाना बडौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 254/24 धारा 302 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल एक डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 11.04.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री नितिन कुमार पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी की अभियुक्त आनन्दपाल पुत्र दलेल सिंह निवासी ग्राम दाह थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा उसके पिता यशपाल पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना



बडौत जनपद बागपत की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 254/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 254/24 धारा 302 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल एक डण्डा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आनन्दपाल पुत्र दलेल सिंह निवासी ग्राम दाह थाना दोघट जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 10.04.2024 को बागपत न्यायालय में मेरी तारीख थी, मैं अपनी तारीख पर हाजिरी लगाकर ग्राम मलकपुर में आया था । मेरा बहनोई यशपाल गाँव में बैठा ताश खेल रहा था तभी मैं भी वहीं पहुँच गया । वहाँ काफी लोग थे और मैंने यशपाल से शराब लाने के लिये पैसे मांगे थे तो उसने सभी लोगों के सामने मुझे बुरा-भला कहते हुए मेरे साथ गाली-गलौच कर दी थी । यह बात मेरे दिल को चुभ गई थी । इस बेइज्जती

का बदला लेने के लिए मैं यशपाल को शराब पीने के बहाने अपने साथ बडौत छपरौली चुंगी पर ले आया था। जब हम दोनों शराब पीकर कुमकुम मोदी स्कूल के सामने ग्राम मलकपुर को जाने वाले रास्ते के तिराहे पर पहुंचे तभी मैंने यशपाल को जान से मारने की नियत से खेत में धक्का दे दिया, जिससे यशपाल सड़क से नीचे खेत में गिर गया था और मैंने उसका गला दबा दिया तथा वहीं पड़े डण्डे से यशपाल के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे यशपाल की वहीं मृत्यु हो गयी थी। उसके बाद मैं यशपाल के शव को छोड़कर और उस डण्डे को सड़क के पास गेहूँ के खेत में छिपाकर वहाँ से भाग गया था।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल एक डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री संजय कुमार शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक श्री रविन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी बागपत।
- 3-व०उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है०का० 351 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है०का० 19 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-है०का० 489 सुनील कुमार एसओजी बागपत।
- 7-का० 25 राजीव कुमार एसओजी बागपत।
- 8-का० 375 मोनू शर्मा एसओजी बागपत।
- 9-का०478 अजीत कुमार एसओजी बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद अताबुल पुत्र मौहम्मद शहाबुद्दीन निवासी ग्राम गौटकटइया थाना पीपरा जनपद सिपौल (बिहार) ।

हाल पता ग्राम बसौंद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 304/2024 धारा 363/376(3)/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0304/2024 धारा 363/376(3)/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-हाशिम पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-फैसल पुत्र वकील निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री रामकुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-म0का0 593 अनीता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आबिद पुत्र अमीर निवासी उर्दू कालौनी करबा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 885 हरिओम सिंह थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 13.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 258/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वीरेन्द्र पुत्र जशवंत निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 13.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01



जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 3/10 यूपी गुण्डा एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 865/18 धारा 392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 1126/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 1127/18 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 751/17 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 467/18 धारा 392 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 259/24 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 433 गौरव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 142 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.04.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना

सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 123/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ईलम पुत्र झगडू निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चा अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नन्हे सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 552 मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 622 दिनेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट


थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.04.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वासद पुत्र शौकत निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 277/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 307/19 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 234/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 122/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री मगनवीर सिंह गिल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-का0 160 अंकुल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 13.04.2024

बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नीरज पुत्र भीम सिंह निवासी- ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-कान्ती पुत्र जगपाल निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-सोनू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-फुरकान पुत्र अब्दुलु गफ्फार निवासी रहमानी मस्जिद कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

5-गफ्फार पुत्र इरशाद निवासी हिलवाडी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6-नावित पुत्र राजेन्द्र निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम ।

2-थाना बड़ौत पुलिस टीम ।

3-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 13.04.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 121/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तालिब पुत्र गफ्तार निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 242/22 धारा 380/427/457/511 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 370/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।